रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2010/कार्तिक 19, 1932
No. 621] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2010/KARTIKA 19, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 900(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम में,—

(i) नियम 3.07 में,—

(क) उप-नियम (3) में, उप-शीर्ष के 'सावधान' और 'आगे बढ़ो' के नीचे क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सावधान

आगे बढ़ो और अगले सिगनल को ऐसी प्रतिबंधित गति से पास करने को तैयार रहो जो विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित की जाए। गाड़ी को या तो मुख्य (मेन) लाइन पर लिया जाएगा और स्टार्टर सिगनल पर रुकना है; या इसे लूप लाइन पर स्टार्टर सिगनल पर रुकना है या लूप लाइन के रास्ते रन थ्रू गुजरना है।"

"आगे बढ़ो

आगे बढ़ो, आगे वाला ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, गाड़ी को मुख्य (मेन) लाइन के रास्ते स्टेशन से रन थ्रू गुजरना है।"

(ख) उप-नियम (4) में, उक्त उप-शीर्ष के 'सावधान' और 'आगे बढ़ो' के नीचे क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सावधान

आगे बढ़ो और अगले सिगनल को ऐसी प्रतिबंधित गति से पास करने को तैयार रहो जो विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित की जाए। गाड़ी को या तो मुख्य (मेन) लाइन पर लिया जाएगा और स्टार्टर सिगनल पर रुकना है; या इसे लूप लाइन पर स्टार्टर सिगनल पर रुकना है या लूप लाइन के रास्ते रन थ्रू गुजरना है।"

"आगे बढ़ो

आगे बढ़ो, आगे वाला ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, गाड़ी को मुख्य (मेन) लाइन के रास्ते स्टेशन से रन थ्रू गुजरना है।"

(ii) नियम 9.02 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) यदि लाइन पर गोलाई, धुंध, वर्षा या आंधी या इंजन द्वारा गाड़ी ढकेली जाने के कारण अथवा अन्य कारणों से, आगे की लाइन स्पष्ट रूप से देखी नहीं जा सकती है तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, जो किसी भी दशा में **10 किलोमीटर** प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इन परिस्थितियों में, जब लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलट नहीं है, और यदि वह आवश्यक समझता है, तो निर्धारित कोड में सीटी बजाकर गार्ड से सहायता मांग सकता है।"

(iii) नियम 9.07 में, उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) यदि लाइन पर गोलाई, धुंध, वर्षा या आंधी या इंजन द्वारा गाड़ी धकेली जाने के कारण अथवा अन्य कारणों से, आगे की लाइन स्पष्ट रूप से देखी नहीं जा सकती है तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, जो किसी भी दशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी, इन परिस्थितियों में, जब लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलट नहीं है, और यदि वह आवश्यक समझता है, तो निर्धारित कोड में सीटी बजाकर गार्ड से सहायता मांग सकता है।"

[सं. 2009/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/24]

विवेक सहाय, सदस्य यातायात के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा भारत सरकार के पदेन सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें निम्नलिखित द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,
(2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
(3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
(4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,
(5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
(6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
(7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
(8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
(9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
(10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
(11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,
(12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,
(13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000,
(14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000,
(15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000,
(16) सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002,
(17) सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002,
(18) सा.का.नि. 221(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006,
(19) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
(20) सा.का.नि. 477(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
(21) सा.का.नि. 311(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007,
(22) सा.का.नि. 694(अ), तारीख 7 नवंबर, 2007,
(23) सा.का.नि. 116(अ), तारीख 29 फरवरी, 2008,
(24) सा.का.नि. 847(अ), तारीख 10 दिसंबर, 2008, और
(25) सा.का.नि. 848(अ), तारीख 27 नवंबर, 2009

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2010

G.S.R. 900(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Goverment hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules,—

(i) **in rule 3.07,**—

(a) in sub-rule (3), under the sub-headings 'Attention' and 'Proceed', the following shall be substituted, respectively, namely :—

"Attention

Proceed and be prepared to pass next signal at such restricted speed as may be prescribed by Special Instructions. Train is being received either on Main line and is required to stop at the Starter signal; or on a Loop line required to stop at the Starter signal or to pass run through via Loop Line";

"Proceed

Proceed, Block Section ahead is clear, train is to pass run through the station via Main Line."

(b) in sub-rule (4), under the sub-headings 'Attention' and 'Proceed', the following shall be substituted, respectively, namely :—

"Attention

Proceed and be prepared to pass next signal at such restricted speed as may be prescribed by Special Instructions. Train is being received either on Main line and is required to stop at the Starter signal; or on a Loop line required to stop at the Starter signal or to pass run through via Loop Line";

"Proceed

Proceed, Block Section ahead is clear, train is to pass run through the station via Main Line";

(ii) **in rule 9.02**, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) Where owing to the curvature of the line, fog, rain or dust storm, engine working the train pushing it, or other causes, the line ahead cannot be seen clearly, the Loco Pilot shall proceed at a very slow speed, which shall under no circumstances exceed **10 kilometres** an hour. Under these circumstances, the Loco Pilot, when not accompanied by an Assistant Loco Pilot, and if he considers necessary, may seek the assistance of the Guard by giving the prescribed code of whistle";

(iii) in rule 9.07, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) Where owing to the curvature of the line, fog, rain or dust storm, engine working the train pushing it, or other causes, the line ahead cannot be seen clearly, the Loco Pilot shall proceed at a very slow speed, which shall under no circumstances exceed **10 kilometres** an hour. Under these circumstances, the Loco Pilot, when not accompanied by a Assistant Loco Pilot, and if he considers it necessary, may seek the assistance of the Guard by giving the prescribed code of whistle."

[No. 2009/Safety(A&R)/19/24]

VIVEK SAHAI, Chairman, Railway Board as Member Traffic and ex officio Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended *vide* number :—

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,

(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,

(3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,

(4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,

(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,

(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,

(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,

(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,

(9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,

(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,

(11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,

(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,

(13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000,

(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,

(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,

(16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002,

(17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002,

(18) G.S.R. 221(E), dated the 19th April, 2006,

(19) G.S.R. 476(E), dated the 11th August, 2006,

(20) G.S.R. 477(E), dated the 11th August, 2006,

(21) G.S.R. 311(E), dated the 26th April, 2007,

(22) G.S.R. 694(E), dated the 7th November, 2007,

(23) G.S.R. 116(E), dated the 29th February, 2008,

(24) G.S.R. 847(E), dated the 10th December, 2008 and

(25) G.S.R. 848(E), dated the 27th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.